



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112021-231109
CG-DL-E-13112021-231109

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4352]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943

No. 4352]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

का.आ. 4718(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टूण्डला टर्मिनल से कानपुर टर्मिनल तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

पाइपलाइन्स प्रभाग, निर्माण कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन्स, टूण्डला - गौरिया पाइपलाइन परियोजना, ई-160, प्रथम व द्वितीय तल, कमला नगर, आगरा (यू.पी.) – 282004 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

तहसील – करहल		अनुसूची जिला – मैनपुरी	राज्य – उत्तर प्रदेश		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1.	सैय्यदपुर प्रान	336	00	08	10

[फा. सं. आर-11025(11)/20/2018-ओआर-1/ ई-27595]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2021

S.O. 4718(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Tundla Terminal to Kanpur Terminal should be laid by Indian Oil Corporation Limited. And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Construction Office, Northern Region Pipelines, Tundla-Gawria Pipeline Project, E-160,1st & 2nd floor, Kamlanagar, Agra(U.P.) – 282 004.

SCHEDULE

Tehsil:- Karhal

District:- Mainpuri

State :- Uttar Pradesh

Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1.	Saiyadpur Pran	336	00	08	10

[F. No. R-11025(11)/20/2018-OR-1/E-27595]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.